भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2972

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफ खाते

2972 # श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2020-21 से अब तक निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों की संख्या कितनी है तथा इनमें जमा धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तब से अब तक ऐसे खातों के संबंध में निपटाए गए दावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निष्क्रिय ईपीएफ खातों की संख्या में वृद्धि के कारणों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निष्क्रिय ईपीएफ खाताधारकों की पहचान करने, दावों के निपटान को सुगम बनाने तथा निष्क्रिय ईपीएफ खातों की संख्या और उनमें अदावित संचित राशि को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): समेकित वार्षिक खाते (तुलन पत्र) के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्क्रिय खातों की वित्तीय वर्ष-वार कुल संख्या, उनमें जमा राशि और निष्क्रिय खातों में निपटाए गए दावों की कुल राशि का विवरण **संलग्नक** पर संलग्न है।

निष्क्रिय खातों की संख्या में वृद्धि का प्राथमिक कारण, सदस्यों द्वारा सेवा छोड़ने के पश्चात दावों को दाखिल नहीं किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अपने सभी सदस्यों के लिए केवाईसी अपडेशन (आधार से जोड़ने) अभियान के कारण, वे खाते जो अब तक सदस्यों की जन्म तिथि की अनुपलब्धता के कारण वर्गीकृत नहीं थे, उन्हें अब निष्क्रिय के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

सरकार ने केवाईसी विवरणों की उपलब्धता और स्थिति के आधार पर दावा न की गई संचित राशियों वाले निष्क्रिय ईपीएफ खातों की पहचान करने और उन्हें श्रेणीबद्ध करने के उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, आधार से जुड़े हुए बैंक खातों में संचित राशियों को सीधे जमा करने की सुविधा के लिए संशोधित ईपीएफ योजना, 2026 में ईपीएफ दावों को स्वतः आरंभ करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच ईपीएफ सेवाओं तथा निष्क्रिय खातों के संबंध में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और 'निधि आपके निकट' (एनएएन) 2.0 शिविरों के आयोजन के माध्यम से जनसंपर्क और जागरूकता पहलें की हैं।

* ******

जारी/-2

संलग्नक

दिनांक 13.08.2026 को उत्तर के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2972 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वित्तीय वर्ष	**निष्क्रिय खातों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**	**निपटान की गई राशि (करोड़ में)**
2020-21	11,72,923	3930.85	1855.55
2021-22	13,41,848	4962.70	2269.75
2022-23	17,44,518	6804.88	2673.98
2023-24	21,55,387	8505.23	2632.29

******